रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260044
CG-DL-E-08012025-260044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2025/पौष 17, 1946
No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2025/PAUSHA 17, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025

का.आ. 135(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) श्री पोलिसेट्टी वेंकट नरसिंगा राव, अध्यक्ष;
हाउस नं. एचआईजी 2/809, सेक्टर 29,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)-492002

(ii) डा. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य;
प्रोफेसर, स्कूल आफ स्टडीज इन बायोटैक्नोलोजी,
पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर
जाधव निवास, जय हिंद चौक, राजातालाब,
रायपुर-492001

(iii) सदस्य-सचिव, सदस्य-सचिव।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड,
नवा रायपुर अटल नगर

2. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पैरा 4 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

3. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में और साधारणतया सर्वसम्मति से लिए जाएंगे :

परंतु यदि विनिश्चय बहुमत से लिया जाता है तो कार्यवृत्त में उसके लिए और उसके विरुद्ध विस्तृत विचारों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाएगा और उनकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

4. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:--

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1

(i) डा. प्रकाश चन्द्र पांडे, -अध्यक्ष;
हाउस नं. 45, आफिसर्स कलोनी धर्मपुरा,
राधास्वामी सत्संग के नजदीक,
गेट नं. 1, कृषक नगर,
रायपुर-492012 (छत्तीसगढ़) ।

(ii) डा. रवि प्रकाश मिश्रा, -सदस्य;
ए-7/304, डीएम टावर, रीजनल टान्सपोर्ट आफिस के पास,
बीरगांव, रायपुर-493221 (छत्तीसगढ़) ।

(iii) श्री किशन सिंह ध्रुव, -सदस्य;
डी-72, सेक्टर 1, देवेन्द्र नगर,
रायपुर-492009 (छत्तीसगढ़) ।

IndiaCode

(iv) डा. मोहन लाल अग्रवाल, -सदस्य;
एमआईजी 80, मारुति विहार कलोनी, मोहाबाबाजार,
रायपुर-492010 (छत्तीसगढ़) ।

(v) श्री सुरेश चंद्रा साओं, -सदस्य;
फ्लैट सं; 143, आरचिड़, तालपुरी, बी ब्लॉक,
भिलाई- 490006 (छत्तीसगढ़) ।

(vi) विशेष सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचिव, -सदस्य-सचिव।
आवास और पर्यावरण विभाग,
छत्तीसगढ़ सरकार, नवा रायपुर अटल नगर ।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2

(i) श्री विक्रम सिंह लाकड़ा, -अध्यक्ष;
एचआईजी-डीडी-8, सेक्टर 8, सीजीएचबी कलोनी, सद्दू,
सी.जी. साइंस सेंटर के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़-492014

(ii) डा. थुलासिंगम कलईचेलवन, सदस्य;
क्वा. नं. 1ए, स्ट्रीट-4ए, सेक्टर-9, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़

(iii) डा. कोसियाथु राघवन नायर हरी, सदस्य;
प्रोफेसर, स्कूल आफ स्टडीज इन जुलौजी एंड वाटर रिसोर्स
मैनेजमेंट,
पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

(iv) श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य;
प्लाट नं. 20, प्रियंका नगर, रिशाली सेक्टर, भिलाई,
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

(v) श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य;
बी/1, राजीव नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

(vi) विशेष सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचिव, सदस्य-सचिव।
आवास और पर्यावरण विभाग,
छत्तीसगढ़ सरकार, नवा रायपुर अटल नगर

IndiaCode

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-3

(i) श्री जयसिंह म्हस्की, -अध्यक्ष;
05, ओल्ड पंचशील नगर, सिविल लाइन्स,
रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)

(ii) डा. विकास कुमार जैन, सदस्य;
डिपार्टमेंट आफ कैमिस्ट्री,
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, सेजबहार,
रायपुर-492015 (छत्तीसगढ़) ।

(iii) श्री रमा शंकर मिश्रा, सदस्य;
सी/5-23, सेक्टर -4, तटिबंध,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

(iv) डा. अजय विक्रम अहीरवार, सदस्य;
सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलोजी,
जी.ई. रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

(v) श्री समीर स्वरूप, सदस्य;
एच.नं. 21, प्रियंका नगर, रिसाली,
जिला-दुर्ग-491001 (छत्तीसगढ़)

(vi) विशेष सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचिव, सदस्य-सचिव।
आवास और पर्यावरण विभाग,
छत्तीसगढ़ सरकार, नवा रायपुर अटल नगर

5. सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समितियों की उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट जिलों पर अधिकारिता होगी, जो निम्न प्रकार है:-

सारणी

क्र.सं.	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर
		कोरिया

IndiaCode

		सूरजपुर
		बलरामपुर
		जशपुर
		सरगुजा
		गौरेला-पेंड्रा-मारवाही
		मुंगेली
		बिलासपुर
		सक्ती
		कोरबा
2.	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2	रायगढ़
		जांजगीर-चम्पा
		सारनगढ़-भिलाईगढ़
		बलौदा बाजार-भाटापारा
		महासमुंद
		बेमेतरा
		खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
		कबीरधाम
		राजनांदगांव
		मोहला-मानपुर-चौकी
		बालोद
3.	राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-3	गरियाबंद
		धमतरी
		दुर्ग
		उत्तर बस्तर कांकेर
		कोंडागांव

IndiaCode

		नारायणपुर
		बस्तर
		बीजापुर
		दंतेवाड़ा
		सुकमा

6. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

8. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(i) प्राधिकरण और समितियों के अध्यक्ष और सदस्य -

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोग नहीं लेंगे, जिनका उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण और समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया; तथा

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य और समिति के अध्यक्ष या सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठक से बचेगें।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेंगी और सचिवालय, वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा ।

IndiaCode

11. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा.सं. जे-11013/41/2007-आई.ए.।।(।)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2025

S.O. 135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: —

(i) Shri Polisetty Venkat Narsinga Rao, -Chairman;
House No. HIG 2/809, Sector 29,
Nava Raipur Atal Nagar (C.G.)- 492002

(ii) Dr. Shailesh Kumar Jadhav, -Member;
Professor, School of Studies in Biotechnology,
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
Jadhav Niwas, Jai Hind Chowk, Rajatalab, Raipur – 492001

(iii) Member Secretary, -Member Secretary.
Chhattisgarh Environment Conservation Board,
Nava Raipur Atal Nagar

2. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committees constituted under paragraph 4.

3. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

IndiaCode

4. The Central Government, in consultation with the State Government of Chhattisgarh, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes following State Level Expert Appraisal Committees for the State of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Committees) comprising of the following persons, namely:

State Level Expert Appraisal Committee-1

(i) Dr. Prakash Chandra Pandey, -Chairman;
House No. 45, Officers Colony Dharampura,
Near Radhaswami Satsang,
Gate no. 1, Krishak Nagar,
Raipur – 492012 (Chhattisgarh)

(ii) Dr. Ravi Prakash Mishra, -Member;
A-7/304, DM Tower, Near Regional Transport Office,
Birgaon, Raipur – 493221 (Chhattisgarh)

(iii) Shri Kishan Singh Dhruw, -Member;
D-72, Sector-1, Devendra Nagar,
Raipur-492009 (Chhattisgarh)

(iv) Dr. Mohan Lal Agrawal, -Member;
MIG-80, Maruti Vihar Colony, Mohababazar,
Raipur – 492010 (Chhattisgarh)

(v) Shri Suresh Chandra Sao, -Member;
Flat No. 143, orchid, talpuri, B Block,
Bhilai – 490006 (Chhattisgarh)

(vi) Special Secretary or Joint Secretary or Deputy Secretary, -Member Secretary.
Housing and Environment Department,
Government of Chhattisgarh, Nava Raipur Atal Nagar

State Level Expert Appraisal Committee-2

(i) Shri Vikram Singh Lakra, -Chairman;
HIG-DD-8, Sector-8, CGHB Colony, Saddu,
Near C.G. Science Centre, Raipur, Chhattisgarh – 492014

(ii) Dr. Thulasingam Kalaichelvan, -Member;
Qr. No. 1A, Street-4A, Sector-9, Bhilai, Durg, Chhattisgarh

(iii) Dr. Kosiyathu Raghavan Nair Hari, -Member;
Professor, School of Studies in Geology and Water Resource Management,

IndiaCode

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh

(iv) Shri Nileshwar Prasad Sahu, -Member;
Plot No. 20, Priyanka Nagar, Rishali Sector, Bhilai,
District- Durg, Chhattisgarh – 490006

(v) Shri Sunil Kumar Sharma, -Member;
B/1, Rajiv Nagar, Raipur, Chhattisgarh

(vi) Special Secretary or Joint Secretary or Deputy Secretary, -Member Secretary.
Housing and Environment Department, Government of Chhattisgarh,
Nava Raipur Atal Nagar

State Level Expert Appraisal Committee-3

(i) Shri Jaisingh Mhaskey, -Chairman;
05, Old Panchsheel Nagar, Civil Lines,
Raipur– 492001 (Chhattisgarh)

(ii) Dr. Vikas Kumar Jain, -Member;
Department of Chemistry,
Government Engineering College, Sejbahar,
Raipur -492015 (Chhattisgarh)

(iii) Shri Rama Shankar Mishra, -Member;
C/5-23, Sector-4, Tatibandh,
Raipur (Chhattisgarh)

(iv) Dr. Ajay Vikram Ahirwar, -Member;
Civil Engineering Department, National Institute of Technology,
G. E. Road, Raipur (Chhattisgarh)

(v) Shri Samir Swarup, -Member;
H. No. 21, Priyanka Nagar, Risali,
District- Durg– 491001 (Chhattisgarh)

(vi) Special Secretary or Joint Secretary or Deputy Secretary, -Member Secretary.
Housing and Environment Department, Government of Chhattisgarh,
Nava Raipur Atal Nagar

5. The State Level Expert Appraisal Committees specified under column (2) of the Table shall exercise jurisdiction over districts specified in the corresponding entry under column (3) of the said Table, namely:—

IndiaCode

TABLE

Sl.No.	State Level Expert Appraisal Committee	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	State Level Expert Appraisal Committee -1	Manendragarh-Chirmiri- Bharatpur
		Koriya
		Surajpur
		Balrampur
		Jashpur
		Surguja
		Gaurella-Pendra- Marwahi
		Mungeli
		Bilaspur
		Sakti
		Korba
2.	State Level Expert Appraisal Committee -2	Raigarh
		Janjgir-Champa
		Sarangarh – Bilaigarh
		Baloda Bazar – Bhatapara
		Mahasamund
		Bemetara
		Khairagarh- Chhuikhadan-Gandai
		Kabirdham
		Rajnandgaon
		Mohla – Manpur – Chowki
		Balod
3.	State Level Expert Appraisal Committee -3	Gariaband
		Dhamtari
		Durg
		Uttar Bastar Kanker
		Kondagaon
		Narayanpur

IndiaCode

		Bastar
		Bijapur
		Dantewada
		Sukma

6. The Chairman and Members of the Authority, and the Committees, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The Authority and the Committees shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. In order to avoid any conflict of interest,—

(i) the Chairman and Members of the Authority and the Committees shall,—

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committees during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Authority and the Committees have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committees as the case may be, from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

9. The Committees shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

10. The State Government of Chhattisgarh shall specify an agency to act as Secretariat of the Authority and the Committees which shall provide financial and logistic support, including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committees shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Chhattisgarh.

[F. No. J-11013/41/2007-IA.II(I)]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.08 22:00:28 +05'30'